न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 232/2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भंवरू पुत्र कालुजी जाति मेघवाल निवासी रूपनगर तहसील जैतारण जिला पाली राज0		1. पेमा पुत्र कालूजी जाति मेघवाल 2. बोदू पुत्र कालूजी जाति मेघवाल 3. नैना पुत्र कालूजी जाति मेघवाल सभी निवासीगण रूपनगर तहसील जैतारण जिला पाली राज0 4. पटवारी, पटवार हल्का रास 5.तहसीलदार, तहसील-जैतारण, जिला-पाली राज0

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.22/12/2017**

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादीगण।
2. श्री प्रद्युम्न श्रीमाली, अधिवक्ता, प्रतिवादी।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 30/01/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा रूपनगर पटवार हल्का रास प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली मे स्थित खसरा नम्बर खसरा नम्बर 604 रकबा 4-13 बीघा व खसरा नम्बर 605 रकबा 2-10 बीघा कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 7-03 बीघा कृषि भूमि आई हुई है। जिस पर वादी मय परिवार अपने हक हिस्सेनुसार काबिज काश्त लगातार चला आ रहा है उक्त सम्पति वादी की पैतृक पुश्तैनी संपति है तथा उक्त संपति वादी के पिता की खातेदारी कृषि भूमि मे दर्ज थी जो उक्त फौतेदगी म्युटेशन के सभी उतराधिकारीयो को प्राप्त होनी थी। उक्त विवादित आराजी मे वक्त सेटलमेन्ट के वादी के पिता के नाम ही दर्ज थी तथा जरिये फोतदगी म्युटेशन के प्राप्त हुई तथा वो के पिता उक्त आराजी पर काबिज काश्त थे तथा उक्त आराजी वादी के पिता की मृत्यु के बाद वारिसान के रूप मे विधिक रूप से होनी थी जो वारिसान है, कालू पुत्र (हुरजा फौत) के वारिसान पेमा (प्रतिवादी) बोदू(प्रतिवादी) नैना (प्रतिवादी) भंवरू(वादी) उक्त वंश वृक्षावली अनुसार उपरोक्त सभी कालूजी के विधिक वारिसान है। जब कालूजी फोत हुए तो उनके फौतदगी म्युटेशन मे उपरौक्त खसरा नम्बर की भूमि मे मात्र प्रतिवादीगण के नाम ही नामान्तरण दर्ज किया जबकि हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत सभी विधिक वारिसान के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है उसमे वादी भी जिन्दा वारिस है। उपरोक्त वंशावली अनुसार वादी का नाम भी बतौर पुत्र फौतेदगी म्युटेशन के दर्ज किया जाना आवश्यक था जो एक कानूनी एवं विधिक भूल है। उपरोक्त आराजी वादी की पैतृक पुश्तैनी है तथा उसमे उसका हक हिस्सा निहित है एवं उसके सांपेतिक अधिकार निहित होने से उक्त सम्पति मे अपना नाकी खातेदारी व काश्तकार अधिकारो की घोषणा करवाने का वादी अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादिर पेश

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

है। वादी के हक हिस्से की आराजी को प्रतिवादीगण उसके नाम नही होने का फायदा उठते हुए रहन बेचान बक्सीस अन्य हस्तान्तरण करने को उतारू है तथा उक्त संपति को जल्द से जल्द किसी अजनबी केता को भू माफियो को बेचने को तैयार है अगर प्रतिवादीगण ऐसा कर देते है तो वादी को असीम क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही हो सकेगी वादी एवं वादी के परिवार को अपने पैतृक पुश्तैनी संपति एवं हक अधिकारों से महरूम होना पडेगा तथा वादी के पास अन्य काश्त की कृषि भूमि नही रहेगी । प्रतिवादीगण द्वारा गैरकानूनी कृत्य करने पर वादी उनको ऐसा हरगिज नही करने देगा जिससे मौके पर विवाद बढेगा मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स होगी ऐसी विषम परिस्थितियों मे वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के श्रीमान के समक्ष पेश है। प्रतिवादी संख्या चार व पांच पटवारी हल्का निम्बोल व तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी महोदय जैतारण राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरूद्ध वादमत्र पेश करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वाद अति आवश्यक प्रकृति का होने से तथा नोटिस देने मे समय लगेगा तब तक वादी का वादपत्र करने का मकसद ही विफल हो जायेगा। इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत अलग से धारा 80(2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र पेश है। बिनाय वाद दिनांक 15-12-17 को वादी द्वारा अपने हक हिस्से मे आई भूमि मे अपना नाम दर्ज करवाने बाबत प्रतिवादीगण से निवेदन किया तो प्रतिवादीगण द्वारा स्पष्ट रूप से इन्कार करने एवं उक्त संपति को बेचान रहन बक्सीस व अन्य हस्तान्तरण करने एवं कब्जे काश्त से बेदखल करने का एलानिया कथन करने पर व दिनांक 18-12-17 को राजस्व रकले प्राप्त करने से पता चला कि उक्त खसरान भूमि मे वादी का नाम नही होने की जानकारी होसे से बमुकाम रूपनगर तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे उत्पन्न हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे होने से अन्दर मयाद श्रीमान के समक्ष पेश है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 से 03 की ओर से वकालतनामा मय ईकबालिया जवाब दावा पेश किया, जिसे सा0मि0 किया गया। प्रतिवादीगण ने ईकबालिया जवाब दावा पेश किया कि वाद पत्र के पद संख्या 01 में वर्णित तमाम तथ्य सही होने से स्वीकार हैं एवं उक्त सम्पति पैतृक पुश्तेनी होने से वादी के साथ पतिवादीगण संख्या 01 से 03 को भी 1/4,1/4,1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें एवं माफिक वादपत्र वादी का वाद वादी के पक्ष में निर्णित व डिक्री किया जाता हैं तो उसमें उतरदाता प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति ऐतराज नही हैं। बहस वकुलाय सुनी गई।

बहस को समायत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात, ईकबालिया जवाब दावा का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 से 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा रूपनगर पटवार हल्का रास प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली मे स्थित खसरा नम्बर खसरा नम्बर 604 रकबा 4–13 बीघा व खसरा नम्बर 605 रकबा 2–10 बीघा कुल खसरा 2 कुल क्षेत्रफल 7–03 बीघा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 01 से 03 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 30/01/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner